संख्या– 592 /9–8–2022–एलसी/20 पी0एम0 स्वनिधि

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–8

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2022

विषयः–पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत 45 दिवस (14 मार्च से 30 अप्रैल, 2022) के विशेष अभियान अन्तर्गत दो दिवसीय विशेष "मेगा कैम्प" दिनांक 18–19 अप्रैल एवं 29–30 अप्रैल, 2022 को आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत आगामी 45 दिवसों में समस्त जनपदों के नगर निकायों में योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष ऋण वितरण, स्वीकृत ऋण के सापेक्ष ऋण वितरण, ऋण प्राप्त समस्त वेण्डर्स को क्यूआर कोड, इन–एक्टिव वेण्डर्स हेतु डिजिटली प्रशिक्षण, क्लोज प्रथम ऋण के सापेक्ष द्वितीय ऋण वितरण एवं स्वनिधि से समृद्धि अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–337/नौ–8–2022–20एल0सी0/2022पी0एम0 स्वनिधि दिनांक 02.03.2022 द्वारा लक्ष्य एवं निर्देश निर्गत किये गये है।

2. उल्लेखनीय है कि माह मार्च, 2022 में आयोजित दो कैम्पों के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने के दृष्टिगत योजनान्तर्गत 45 दिवस के विशेष अभियान (14 मार्च से 30 अप्रैल, 2022) के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 में दो दिवसीय विशेष "मेगा कैम्प" दिनांक 18–19 अप्रैल एवं 29–30 अप्रैल, 2022 का आयोजन किया जाना है।

कैम्प से पूर्व की जाने वाली गतिविधियाँ निम्नवत होंगीः–

- इन–एक्टिव वेण्डर्स को चिन्हित करना। सभी वेण्डर्स को क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाए।
- इन–एक्टिव वेण्डर्स को क्यूआर कोड एवं डिजिटल लेन–देन का प्रशिक्षण हेतु पेटीएम और बैंको से समन्वय कर लिया जाए।
- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा डिजिटली लेन–देन हेतु वेंडिग जोनवार वेंडर्स को व्यक्तिगत/समूहवार प्रशिक्षण दिया जाय एवं इसके लाभ भी वेंडर्स को बताए जाय। इसके अतिरिक्त निकाय में जोनवार प्रशिक्षित वेंडरों की सूची निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 15.04.2022 तक शासन को उपलब्ध करायी जाय। डिजिटल लेनदेन के प्रशिक्षण हेतु स्वनिधि मित्रों/नगर निकाय एवं डूडा के कर्मियों की वेंडिंग जोन/मार्केटवार ड्यूटी लगायी जाए एवं उनके अनुश्रवण में डिजिटल पेमेन्ट एग्रीग्रेटर्स एवं बैंको के माध्यम से डिजिटल लेनदेन हेतु प्रशिक्षण के कैम्प का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण में वेण्डर्स को पेनी ड्रॉप के माध्यम से डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया जाए एवं निरन्तर डिजिटल लेनदेन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी द्वारा वेंडर्स संघों/समितियों तथा टाउन वेंडिग कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर निकाय के वेंडरों को डिजिटल लेन–देन का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाय तथा डिजिटल लेनदेन के माध्यम से माह में न्यूनतम 200 लेनदेन करने पर प्रत्येक माह 100 रुपये (वर्ष में 1200 रुपये) कैशबैक के रुप में प्राप्त होने की जानकारी वेण्डर्स को उपलब्ध करायी जाय। डिजिटल लेनदेन करने हेतु अधिक से अधिक वेण्डर्स को जागरुक/गतिशील किया जाए। निकायवार प्रशिक्षित वेंडरों की सूची निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 15.04.2022 तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- एल.ओ.आर निस्तारण/जारी करने हेतु कैम्प से पूर्व तैयारियाँ कर ली जाए।
- रिर्टन बाय बैंक आवेदन की त्रुटि दूर करने से संबंधित कार्यवाही कैम्प से पूर्व कर ली जाए।
- नगर निकायों के कर्मियों को वेण्डिंग जोन/क्लस्टरवार/बैंक शाखावार लक्ष्य आवंटित कर ड्यूटी लगाकर वृहद कार्ययोजना बनायी जाए।

- कैम्प प्रारम्भ होने से पूर्व बैंको से समन्वय कर कैम्पों का वेण्डिंग जोन/स्थलों/बैंक शाखाओं का निर्धारण कर लिया जाए और वेण्डर्स को इसकी सूचना/जानकारी उपलब्ध करायी जाए, ताकि वेण्डर्स को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- ऋण हेतु जो वेण्डर्स नहीं मिल रहे है/ऋण हेतु इच्छुक नहीं है, उनको सूचीबद्ध किया जाए और सूची को परियोजना निदेशक के स्तर से उपलब्ध करायी जाए।

3. <u>दो दिवसीय विशेष "मेगा कैम्प" के दौरान निम्नवत कार्य किये जाने है:—</u>

1. सभी ऑनलाइन आवेदनों का ऋण वितरण एवं सभी स्वीकृत आवेदनों का ऋण वितरण, बैंको से समन्वय कर कैम्पों के दौरान प्रत्येक दशा में वितरित कराया जाए।
2. कैम्पों के दौरान प्रथम ऋण शत–प्रतिशत वापसी कर चुके वेण्डर्स की बैंक/शाखावार सूची तैयार कर उन वेण्डर्स को द्वितीय ऋण के लिए आवेदन हेतु गतिशील करते हुए ऋण वितरित कराया जाए।
3. बैंको अथवा डिजीटल पेमेन्ट एग्रीगेटर्स से समन्वय कर प्रत्येक ऋण प्राप्त वेण्डर्स को डिजिटल ऑनबोर्ड किया जाए एवं डिजीटल लेनदेन का प्रशिक्षण ऋण वितरण के समय ही सुनिश्चित किया जाए।
4. प्रदेश के नागर निकायों में 15 करोड़ प्रति माह डिजिटली लेन देन का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रति वेण्डर द्वारा प्रतिमाह कम से कम 200 डिजिटली लेनेदन (किसी भी मूल्य के) किये जाने हेतु उन्हें जागरुक/गतिशील किया जाए, जिससे योजनान्तर्गत वेण्डर्स को अधिक से अधिक कैशबैक की धनराशि प्राप्त हो सके।
5. कैम्प में वेण्डर्स के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था हो एवं वेण्डर्स को लाने जाने हेतु संबंधित लॉजिस्टिक की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
6. स्वनिधि से समृद्धि अन्तर्गत वेण्डर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों की प्रोफाइलिंग शत–प्रतिशत सुनिश्चित की जाए एवं अन्य 08 योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवेदन कराकर संबंधित विभागों से आवेदन स्वीकृत कराया जाए। इस हेतु आवश्यक है कि कैम्प से पूर्व संबंधित विभागों से समन्वय कर कैम्प में विभागों के स्टॉल लगाए जाए।
7. समस्त नगर निगम शहरों में फूड वेण्डर्स को ई–कॉमर्स प्लेटफार्म पर स्वीगी एवं जोमैटो के माध्यम से ऑनबोर्ड कराया जाए।
8. आयोजित किये जाने वाले कैम्प को कल्स्टर/जोनवार निर्धारण कर अधिकारियों/कर्मचारियों की डयूटी लगायी जाए, जिससे लाभार्थियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 45 दिवस के विशेष अभियान (14 मार्च से 30 अप्रैल, 2022) के अन्तर्गत दो दिवसीय विशेष "मेगा कैम्प" दिनांक 18–19 अप्रैल एवं 29–30 अप्रैल, 2022 के आयोजन हेतु उपरोक्तानुसार समुचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार एवं शासन की अपेक्षानुसार अधिक से अधिक वेण्डर्स को लाभान्वित करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक/नोडल ऑफिसर (पीएम स्वनिधि), स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से संबंधित नगर निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0, बैंक ऑफ बड़ौदा को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से बैंको को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कृपया बैंको से समन्वय स्थापित करके कैम्प/बैंक शाखाओं में लाभार्थियो को पहुँचाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव